न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 5050 / 2003 / धौलपुर

1— सीताराम पुत्र किशनलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1 मांगीलाल पुत्र सीताराम
1/2 अतरसिंह पुत्र सीताराम
1/3 राजवीर पुत्र सीताराम
1/4 मोहरसिंह पुत्र सीताराम
1/5 मुन्नी पुत्री सीताराम
समस्त जाति जाटव, निवासी ग्राम हरजूपुरा गढी, तहसील बसेडी, जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1— ग्यारसी पुत्र निरोतीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1 श्रीलाल पुत्र ग्यारसी
2— चोखरिया पुत्र निरोतीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
2/1 रामजीलाल पुत्र चोखरिया (मृतक) जरिये वारिसानः—
2/1/1 नवलदेई बेवा रामजीलाल
2/1/2 सचिन पुत्र रामजीलाल
2/2 रामवीर पुत्र चोखरिया
2/3 जमुनादास पुत्र चोखरिया
2/4 विशम्भर पुत्र चोखरिया
2/5 बैजनाथ पुत्र चोखरिया
3— चिरमोली पुत्र नहने (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1 कलुआ पुत्र चिरमोली (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1/1 रामदेई बेवा कलुआ
3/1/2 रूपसिंह पुत्र कलुआ
3/1/3 धारासिंह पुत्र कलुआ
3/1/4 रविन्द्र पुत्र कलुआ
4— मानपाल पुत्र नहने (मृतक) जरिये वारिसानः—
4/1 शीतोली पुत्र मानपाल
4/2 सुखराम पुत्र मानपाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
4/2/1 अंगूरी बेवा सुखराम
4/2/2 राकेश पुत्र सुखराम
4/2/3 मौजीलाल पुत्र सुखराम
4/2/4 सुरेश पुत्र सुखराम
4/3 प्रभू उर्फ प्रभूलाल पुत्र मानपाल
4/4 मलोदा पुत्री मानपाल पत्नी रामभरोसी
4/5 रामदेई पुत्री मानपाल पत्नी श्यामा
4/6 श्यामाबाई पुत्री मानपाल पत्नी शिवचरण
5— कलुआ पुत्र सामलिया
6— रजला पुत्र सामलिया (मृतक) जरिये वारिसानः—
6/1 कम्पूरी बेवा रजला
6/2 कमलसिंह पुत्र रजला
6/3 पदमसिंह पुत्र रजला
6/4 बन्नेसिंह पुत्र रजला
7— रामस्वरूप पुत्र भगोली
8— अमरसिंह पुत्र भगोली
9— रामखिलाडी पुत्र घमण्डी (मृतक) जरिये वारिसानः—

अपील डिक्री/टीए/5050/2003/धौलपुर

9/1 मुकेश पुत्र रामखिलाडी
9/2 दिनेश पुत्र रामखिलाडी
10— होरीलाल पुत्र घमण्डी (मृतक) जरिये वारिसान
10/1 रेशो बेवा होरीलाल
10/2 रविन्द्र पुत्र होरीलाल
10/3 उदयसिंह पुत्र होरीलाल
11— अमृतलाल पुत्र घमण्डी
12— श्रीपति पुत्र तोता (मृतक) जरिये वारिसानः—
12/1 भूरी बेवा श्रीपति
13— नत्थी पुत्र तोता
समस्त जाति जाटव, निवासी ग्राम हरजूपुरा गढी, तहसील बसेडी, जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री अजीत लोढ़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः— 10.08.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20—08—2002 जो अपील सं0 77/1999 में भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 3 ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी में एक वाद हक घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाके ग्राम हरजुपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर में स्थित आराजी कुल 14 किता की रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार करने तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का कथन किया।

3— प्रतिवादी क्रम 1 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 11 ने जवाबदावा पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे

गए कथनों को अस्वीकार कर वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया।

4— परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19—08—1998 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर दिनांक 05—10—1999 को प्राथमिक डिक्री पारित की।

5— परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19—08—1998 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 11 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20—08—2002 के द्वारा अपील अपीलाण्ट अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज कर दी।

6— प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20—08—2002 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 सीताराम ने मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की है।

7— अपीलाण्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20—08—2002 की सूचना नहीं दी, जबकि उनके अधिवक्ता ने प्रार्थी को बोला था कि जब भी कोई निर्णय आदि होगा तो उन्हें सूचित कर दिया जावेगा, परन्तु उनके द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23—09—2003 को गांव में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिसपर प्रार्थी ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसपर प्रार्थी को दिनांक 27—09—2003 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने

से क्षम्य किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

8— अपील अपीलाण्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी।

9— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19—08—99 में खुले न्यायालय में दावा खारिज करने की बाई मीटस एण्ड बाउण्डस से किये गऐ घोषणा की जिसका अंकन स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी कलम से पत्रावली के सरवरक पर किया गया इसके बावजूद भी निर्णय में इसके विपरीत दावा वादी मुताबिक वादपत्र डिक्री किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि दिनांक 19—08—99 को दावा वादी डिक्री किये जाने के बावजूद भी इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री नहीं बनाई गई जो अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 05—10—99 को तैयार की गई इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 13—14 माह बाद प्राथमिक डिक्री बनाई गई है जो अपने आप में प्रश्नचिन्ह छोडती है। उन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अभिवचनों की ताईद में ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे विवादित आराजी का पक्षकारान के पूर्वजों के मध्य बंटवारा होना साबित होता हो और न ही वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में बंटवारा होना साबित किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में मौखिक साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है तथा साथ ही यह स्वीकार किया है कि वादीगण प्रतिवादीगण ने सम्मिलित काश्त होना अपने बयानों में कहा है इसके बावजूद भी मौखिक साक्ष्य पर कोई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होंने आगे

कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा वादी मुताबिक वादपत्र डिक्री किया गया था तो पत्रावली का सरवरक पर खारिज तथा बंटवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस क्यों अंकित किया था तथा प्रारंभिक डिक्री दिनांक 19–08–99 को क्यों नहीं बनाई गई तथा निर्णय के बाद पत्रावली में कुरे क्यों मंगाये गये क्योंकि निर्णय के अनुसार कुर्रे तो बने हुए थे इसलिए दावा वादी बजाए कुर्रे मंगाने के अंतिम डिक्री क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी थी एवं देाी को क्षमा करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित कर दिये थे इस कारण मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील का निस्तारण करना चाहिए था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपील का निर्णय गुणावगुण पर नहीं करते हुए अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने में भारी भूल की है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर विद्वान भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 20–08–2022 एवं सहायक कलक्टर बाडी का निर्णय दिनांक 19–08–98 एवं डिक्री दिनांक 5–10–99 को निरस्त फरमाया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार वादी क्रम 1 व 2 के पिता निरोती 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 व वादी क्रम 3 के पिता नहने का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 11 के बाबा गेन्दा 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। इसी अनुसार वे विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का 80 वर्ष पूर्व बाहमी तौर पर विभाजन हो गया था। उक्त विभाजन के अनुसार ही पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी क्रम 1 व 2 रेस्पो0 ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नं0 1572 रकबा 14 बिस्वा में एक पक्के कुए का निर्माण कराया है तथा उक्त खसरा नं0 में ही वादी क्रम 1 व 2 के पिता निरोती का चबूतरा बना हुआ है तथा कुआ में वादी क्रम 1 व 2 के नाम का बीजक लगा हुआ

है तथा उक्त आराजी में भूसा भरने के लिए एक कच्चा घर बना हुआ है। उक्त आराजी पर उनका 50 वर्ष से पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नं0 1571 में वादीगण क्रम 1 व 2 ने पक्के मकान बनवा रखें है जिनमें वादी क्रम 1 व 2 अपने पिता के जीवनकाल से निवास करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार खसरा नं0 1565 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में प्रतिवादी क्रम 1 व वादी क्रम 3 ने एक कच्चा घर भूसा भरने के लिए बना रखा है। इस प्रकार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में सम्मिलित खाता दर्ज चला आ रहा है इसलिए पक्षकारान का हिस्सा पृथक–पृथक करवाया जाना आवश्यक हो गया था इसलिए वादीगण रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 3 ने परीक्षण न्यायालय में वाद पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर वाद डिक्री कर दिया तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–1998 एवं डिक्री दिनांक 05–10–1999 तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–08–2002 विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाए जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल रखे जावें।

11– हमनें अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया। हमने सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि के जो कारण बताए है वे पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत होते है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नरमी का रूख अपनाते हुए हम न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझतें है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकर फरमाया जाकर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

12— प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/रेस्पो0 1 लगायत 3 ने विवादित आराजी के सम्बंध में दावा इस्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती का प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19—08—1998 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इस प्रकार है, ''अतः आदेश है कि दावा वादी प्राथमिक डिक्री इस प्रकार किया जाता है कि वादी संख्या 1 व 2 के हिस्सा में आराजी खसरा नं0 1571/0.08, खसरा नं0 1572/0.14, खसरा नं0 1555/1.13, खसरा नं0 1556/1.11 कुल किता चार कुल रकबा 4.06 बि0 तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में अ0ख0नं0 1565/1.06, 1696/1.10, 1691/1.11 कुल किता तीन कुल रकबा 4.07 बि0, तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 11 के हिस्सा में अ0ख0नं0 1526/0.16, खसरा नं0 1691/1990/1.11, खसरा नं0 1692/0.07, खसरा नं0 1523/0.11, खसरा नं0 1524/0.14, खसरा नं0 1555/1964/0.03, खसरा नं0 1556/1565/0.03 कुल किता सात कुल रकबा 4.05 बि0 वाके ग्राम हरजुपरा तहसील बसेडी प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करें तथा अ0ख0नं0 1572 में बनी चाह (कुआ) से प्रतिवादीगण को सिंचाई आदि करने से नहीं रोकें। वंचित नहीं करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री कायम किया जावे। तथा कुर्रे प्रस्ताव मंगाने हेतु तहसील को परवाना जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे।'' परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19—08—1998 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की है तथा अंतिम डिक्री हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु तहसील को परवाना जारी करने का आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्राथमिक डिक्री पारित कर प्राथमिक डिक्री में खसरा नं0 एवं रकबा पक्षकारान के हिस्से दर्ज कर प्राथमिक डिक्री पारित की है, जबकि प्राथमिक डिक्री में पक्षकारान के केवल हिस्से तय होते है न की खसरा नं0 और रकबा। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 3 ने परीक्षण

न्यायालय में जो वाद पेश किया है वह हक घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था उक्त वाद में विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा गया था। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की थी जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 13 व 14 पर संलग्न है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी तनकी पर विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना सीधे निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर अपना विवेचन/विश्लेषण पारित किया जाना आवश्यक होता है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण हक घोषणा से संबंधित है जिसमें पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज कर दिया है जो विधिसम्मत नहीं है। जहां पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना हो वहॉ तकनीकी आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझतें है।

13– परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–1998 एवं डिक्री दिनांक 05–10–1999 एवं अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–08–2002 निरस्त किए जाते है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पैरा संख्या 12 में किए गए विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए तथा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर अपना विवेचन/विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत रूप

से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 26–09–2023 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड वापस दिनांक 26–09–2023 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य